UPCH010014942025

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0ऐक्ट/,
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0—1, चित्रकूट ।
उपस्थितः—राहुल मिश्रा........एच0जे0एस0 (जे0ओ0कोड—यू0पी0 2726)

सत्र परीक्षण सं0—373 / 2025
उ0प्र0 राज्य।

..........................अभियोजन

बनाम

विवेक गोस्वामी उम्र 24 वर्ष पुत्र अखिलेश गोस्वामी, निवासी तिन्दवारी, थाना तिन्दवारी, जनपद बांदा, उत्तर प्रदेश।

..........................अभियुक्त

अन्तर्गत धारा—08 / 20 स्वापक औषधि
एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम।
थाना—कर्वी कोतवाली नगर, जनपद चित्रकूट।
अपराध संख्या—267 / 2025

निर्णय

1. प्रस्तुत प्रकरण में अपराध संख्या—267 / 2025, धारा—08 / 20 स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम, थाना कर्वी कोतवाली नगर, जनपद चित्रकूट में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांकित 02.05.2025, अन्तर्गत धारा 08 / 20 स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम विरूद्ध विवेक गोस्वामी से उत्पन्न प्रकरण की विवेचना के पश्चात् तैयार आरोप—पत्र संख्या 221 / 2025, दिनांक 11.05.2025 अन्तर्गत धारा—08 / 20 स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम के आधार पर यह सत्र परीक्षण वाद अभियुक्त विवेक गोस्वामी के विरुद्ध चला है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 02.05.2025 को उ0नि0 अनिल कुमार गुप्ता हमराह का० अभिषेक प्रताप सिंह, का रवि शंकर गाड़ी सरकारी वाहन संख्या यूपी 96 जी 6 जी 0152 के रवानाशुदा रोजनामचा आम तारीखी इमरोजा वास्ते देखभाल क्षेत्र रोक थाम जुर्म जरायम रात्रि गस्त में पर्यटक तिराहा पर मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास ने आकर बताया कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल नं0 यूपी 90 एसी 6994 रंग भगवा से कुशवाहा बस्ती के पास मुर्गी फार्म हाऊस के पास कुछ दूर पहले खड़ा जिसके पास एक सफेद झोले संदिग्ध वस्तु है और किसी का इन्तजार कर रहा है यदि आप लोग जल्दी करे तो पकड़ा जा सकता है मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके वह पुलिस वाले

Digitally signed by Rahul Mishra
Date: 2026.08.13 15:14:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आपस में जामा तलाशी ले देकर इत्मीनान किया कि किसी के पास अपराध से सम्बन्धित वस्तु नहीं है तब वह पुलिस वाले अपने सरकारी वाहन से मुखबिर को साथ लेकर मुखबिर के बताये हुये स्थान की तरफ चल दिये जैसे ही मुर्गी फार्म हाऊस से 50 मी0 पहले पहुंचे थे कि मुखबिर खास गाड़ी की रोशनी में मोटर साइकिल पर खड़े व्यक्ति की ओर इशारा किया कि वही व्यक्ति है जो संदिग्ध वस्तु अपने मोटरसाइकिल के हैण्डल में झोले में टांगा है तब वह पुलिस वाले तेजी व चटकी से खड़े व्यक्ति के पास अपनी गाड़ी ले जाकर खड़ी की तो जैसे ही नीचे उतरे वह व्यक्ति अपनी मोटरसाइकल स्टार्ट करने लगा और भागने की कोशिश करने लगा तब वह पुलिस वाले उक्त व्यक्ति को घेरघार कर रोका व टोका तथा भागने का कारण पूंछा तो वह सकपका गया और गलती की माफी मांगते बताया कि साहब उसके पास इस झोले में अवैध सूखा गांजा है इसलिये वह आप लोगो को देख कर भागना चाहा कि आप लोगो ने घेरकर रोक लिया तब उक्त व्यक्ति से नाम पता पूंछते हुये उसे धारा 50 एनडीपीएस एक्ट के तहत तलाशी किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी से लिये जाने का प्रावधान बताया गया। अपना नाम विवेक गोस्वामी पुत्र अखिलेश गोस्वामी उम्र 20 वर्ष निवासी तिन्दवारी थाना तिन्दवारी जनपद बांदा बताया तब क्षेत्राधिकारी नगर महोदय जनपद चित्रकूट को जरिये दूरभाष सीयूजी मोबाइल 9305101116 पर वार्ता कर घटना स्थल पर तलाशी हेतु बुलाया गया तब उक्त व्यक्ति द्वारा अपने विरुद्ध किये जा रहे एकत्र साक्ष्य से बचने के लिये कहने लगा कि साहब आप पकड़ लिये हैं तो आप ही ही मेरी तलाशी ले लीजिये लिखित रूप में सहमति पत्र दे रहा है है तब उक्त व्यक्ति से सहमति पत्र लेकर उक्त व्यक्ति के मोटरसाइकिल में टंगे सफेद प्लास्टिक के झोले को उतारकर तलाशी ली गयी तो एक प्लास्टिक खाकी रंग के टेप से लिपटा हुआ बण्डल बरामद हुआ। जिसके एक किनारे खोलकर देखा व सूंघा व सुघाया गया तो गांजे की गन्ध आ रही है तब मौके पर का० अभिषेक प्रताप सिंह को भेजकर इलेकट्रानिक तराजू मंगाकर उक्त बरामद बण्डल को तौला गया तो कुल 02 किलो 600 ग्राम वजन अवैध सूखा गांजा पाया गया उक्त व्यक्ति से इतनी अधिक मात्रा में अवैध सूखा गांजा रखने का लाइसेन्स तलब किया तो दिखाने से कासिर रहा जिसका कृत्य अन्तर्गत धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का जुर्म है जिसका बोध कराते हुये समय करीब 4.50 बजे वहद ग्राम कुशवाहा बस्ती मुर्गी फार्म हाऊस सीतापुर से हिरासत पुलिस व बरामद माल व वाहन कब्जा पुलिस लिया गया उक्त वाहन का कागजात मांगा गया तो नहीं दिखा सके तो अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया तथा चालानी रिपोर्ट अलग से प्रेषित की जायेगी दौराने गिरफ्तारी व बरामदगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशो निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया मौके पर टार्च व मोबाइल के पर्याप्त रोशनी में बरामद माल को उसी झोले में रखकर सील सर्वमोहर कर नमूना मोहर तैयार कर मौके पर गिरफ्तारी प्रपत्र व फर्द तैयार की गयी तथा सम्बन्धित के अलामात बनवाये जा रहे हैं। गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के परिवारीजनों को अकब से

दी जायेगी फर्द की एक प्रति अभियुक्त को दी गयी जो मौके पर फाड़कर फेंक दिया। बरामद माल का फोटो व वीडियो मौके पर बनायी गयी तथा बरामद अवैध सूखा गांजा नमूना हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष निकाला जायेगा।

3. थाना कर्वी कोतवाली नगर, फर्द बरामदगी के आधार पर दिनांक 02.05.2025 को समय 07.10 बजे अभियुक्त विवेक गोस्वामी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 08/20 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट कम्प्यूटर पर दर्ज करायी गयी और उससे सम्बंधित प्रविष्टि थाने की जनरल डायरी में रपट नं0—17, दिनांक 02.05.2025, समय 07.10 बजे पर कम्प्यूटर पर उसी समय अंकित करायी गयी। तत्पश्चात् मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी।

4. प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक द्वारा वादी मुकदमा की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर स्थल का मानचित्र तैयार किया गया। साक्षियों तथा अभियुक्त के बयान अंकित किये। संकलित साक्ष्य के आधार पर विवेचना के उपरान्त अभियुक्त विवेक गोस्वामी के विरुद्ध धारा—08/20 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट के अन्तर्गत आरोप—पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5. दिनांक 20.06.2025 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0—नवीन चित्रकूट द्वारा आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लिया गया।

6. अभियुक्त विवेक गोस्वामी के विरुद्ध दिनांक 19.07.2025 को धारा—08/20 स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया तथा आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे उसने इनकार किया और परीक्षण की मांग की।

7. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी निम्नवत हैः—

क0 सं0	साक्षी का नाम	साक्षी संख्या	साक्ष्य दिनांक	प्रदर्शित किया गया है।
1	वादी मुकदमा उपनिरीक्षक अनिल कुमार गुप्ता।	1	20.09.2025	सहमति पत्र **प्रदर्श क—1,** गिरफ्तारी मेमो **प्रदर्श क—2,** फर्द बरामदगी अवैध गांजा 02 किलो 600 ग्राम दिनांकित 02.05.2025 **प्रदर्श क—3**, रिकार्डिंग सी0डी0 **वस्तु प्रदर्श—1,** बरामद गांजा **वस्तु प्रदर्श—2**
2	हेड कांस्टेबल आशीष अग्निहोत्री	2	03.04.2026	प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 02.05.2025, समय 07.10 बजे **प्रदर्श क—4,** कायमी जी0डी0 सं0—17, दिनांक 02.05.2025 समय 07.10 बजे **प्रदर्श क—5**
3	उपनिरीक्षक रमेश सिंह	3	17.06.2026	नक्शा नजरी **प्रदर्श क—6**, जी0डी0 सं0—45, दिनांक 02.05.

दिनांकः—13.08.2026

(राहुल मिश्रा)
विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0ऐक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0—1, चित्रकूट।
जे0ओ0कोड—यू0पी0 2726

				2025, समय 14.40 बजे **प्रदर्श क–7,** परीक्षण फार्म हेतु भेजा गया रिपोर्ट **प्रदर्श क–8**, वीडियो की सी0डी0 का प्रमाण पत्र **प्रदर्श क–9**, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट **प्रदर्श क–10**, आरोप पत्र सं0–221/2025, दिनांक 11.05.2025 **प्रदर्श क–11**

8. अभियोजन द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज निम्नवत हैः–

क0 सं0	दस्तावेज	प्रदर्शित किया गया है।	किस साक्षी ने प्रदर्शित किया है।
1	प्रदर्श क–1	सहमति पत्र	पी0डब्लू01, वादी मुकदमा उपनिरीक्षक अनिल कुमार गुप्ता।
2	प्रदर्श क–2	गिरफ्तारी मेमा	पी0डब्लू01, वादी मुकदमा उपनिरीक्षक अनिल कुमार गुप्ता।
3	प्रदर्श क–3	फर्द बरामदगी अवैध गांजा 02 किलो 600 ग्राम दिनांकित 02.05.2025	पी0डब्लू01, वादी मुकदमा उपनिरीक्षक अनिल कुमार गुप्ता।
4	प्रदर्श क–4	प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 02.05.2025, समय 07.10 बजे	पी0डब्लू02, हेड कांस्टेबल आशीष अग्निहोत्री
5	प्रदर्श क–5	कायमी जी0डी0 सं0–17, दिनांक 02.05.2025 समय 07.10 बजे	पी0डब्लू02, हेड कांस्टेबल आशीष अग्निहोत्री
6	प्रदर्श क–6	नक्शा नजरी	पी0डब्लू03, उपनिरीक्षक रमेश सिंह
7	प्रदर्श क–7	जी0डी0 सं0–45, दिनांक 02.05.2025, समय 14.40 बजे	पी0डब्लू03, उपनिरीक्षक रमेश सिंह
8	प्रदर्श क–8	परीक्षण फार्म हेतु भेजा गया रिपोर्ट	पी0डब्लू03, उपनिरीक्षक रमेश सिंह
9	प्रदर्श क–9	वीडियो की सी0डी0 का प्रमाण पत्र	पी0डब्लू03, उपनिरीक्षक रमेश सिंह
10	प्रदर्श क–10	विधि विज्ञान प्रयोगशाल की रिपोर्ट	पी0डब्लू03, उपनिरीक्षक रमेश सिंह
11	प्रदर्श क–11	आरोप पत्र सं0–221/2025, दिनांक 11.05.2025	पी0डब्लू03, उपनिरीक्षक रमेश सिंह

दिनांकः–13.08.2026

(राहुल मिश्रा)
विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0ऐक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–1, चित्रकूट।
जे0ओ0कोड–यू0पी0 2726

9. अभियोजन द्वारा प्रदर्शित वस्तु प्रदर्श निम्नवत हैः–

क0 सं0	प्रदर्श	प्रदर्शित किया गया है।	किस साक्षी ने प्रदर्शित किया है।
1	वस्तु प्रदर्श–1	रिकॉर्डिंग सी0डी0	पी0डब्लू01, वादी मुकदमा उपनिरीक्षक अनिल कुमार गुप्ता।
2	वस्तु प्रदर्श–2	गांजा	पी0डब्लू01, वादी मुकदमा उपनिरीक्षक अनिल कुमार गुप्ता।

10. पत्रावली पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला, फाफामऊ (शांतिपुरम) प्रयागराज उत्तर प्रदेश, की रिपोर्ट कागज संख्या–23ख उपलब्ध है।

11. अभियुक्त विवेक गोस्वामी के बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया, जिसमें उसने अभियोजन कथानक को सही गवाही देना बताया, तथा अपने विरुद्ध मुकदमा गलती हो जाना कहा, सफाई साक्ष्य देने से इनकार किया तथा अतिरिक्त कथन में कहा है कि मैं सुधर गया हूं।

12. अभियोजन द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि इस केस में अभियुक्त विवेक गोस्वामी के पास से 02 किलो 600 ग्राम नाजायज सूखा गांजा पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र, गशत भ्रमण, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन व रोकथाम जुर्म जरायम के दौरान बरामद होने का आरोप है। तथ्य के साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 उपनिरीक्षक अनिल कुमार गुप्ता, पी0डब्ल्यू0–2 हेड कांस्टेबल आशीष अग्निहोत्री, पी0डब्ल्यू0–3 उपनिरीक्षक रमेश सिंह को परीक्षित कराया गया है, उसने अपने सशपथ बयान में इस बरामदगी का समर्थन किया है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि रासायनिक परीक्षण से बरामद वस्तु गांजा पायी गयी है। अभियुक्त के पास से गांजा की बरामदगी का आरोप सिद्ध हुआ है, अतः उसे दोषसिद्ध किया जाना चाहिए।

13. बचाव पक्ष की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त को इस प्रकरण में फंसाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि इस प्रकरण में धारा–42, धारा–50, धारा–52 व धारा–57 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट का अनुपालन नहीं किया गया है, जबकि यह सभी प्रावधान आदेशात्मक हैं और इनका अनुपालन किया जाना होता है। अभियोजन कथानक को गलत एवं झूठा बरामदगी होना, झूठा बयान देना तथा झूठा मुकदमा दर्ज कर, झूठे प्रपत्र तैयार किया जाना कहा गया अपने विरुद्ध मुकदमा झूठा एवं गलत चलना कहा गया, सफाई साक्ष्य देने से इनकार किया तथा अतिरिक्त कथन में कहा है कि मैं सुधर गया हूं।

14. प्रकरण में यह विनिश्चित किया जाना है कि क्या दिनांक 02.05.2025 को समय 04.50 बजे बहद स्थान कुशवाहा बस्ती मुर्गी फार्म हाउस के पास, स्थित सीतापुर, थाना कर्वी, जिला चित्रकूट से अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और जामा तलाशी लिये जाने पर अभियुक्त विवेक गोस्वामी के कब्जे से 02 किलो 600 ग्राम

नाजायज सूखा गांजा बरामद हुआ, जिसे रखने का कोई प्राधिकार–पत्र अभियुक्त नहीं दिखा सका? क्या अभियुक्त ने धारा–08/20 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया?

15. अभियोजन साक्षियों द्वारा किये गये कथन निम्नवत् हैंः–

16. **पी0डब्ल्यू0–1 वादी मुकदमा उपनिरीक्षक अनिल कुमार गुप्ता** ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कथन किया है कि दिनांक 02.05.2025 को मैं उपनिरीक्षक के पद पर थाना कर्वी कोतवाली जनपद चित्रकूट में तैनात था। उसी दिनांक को मैं मय हमराह का० अभिषेक प्रताप सिंह, का० रविशंकर मय सरकारी वाहन थाना हाजा से रवाना होकर वास्ते देखभाल क्षेत्र, रोकथाम जुर्म जरायम रात्रि गस्त में पर्यटन तिराहा पर मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल नम्बर यूपी 90 ए0सी0 6994 जिसका रंग भगवा है, से कुशवाहा बस्ती के पास मुर्गी फार्म हाउस से कुछ दूर पहले सफेद झोले में संदिग्ध वस्तु लिये खड़ा है और किसी का इन्तजार कर रहा है, यदि जल्दी करें तो उसे पकड़ा जा सकता है। मुखबिर खास की इस सूचना पर विश्वास करके हम पुलिस वाले आपस में एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर इत्मिनान किया कि हमारे पास कोई नजायज वस्तु नहीं है। मुखबिर को साथ लेकर मुखबिर के बताये हुए स्थान से 50 मीटर पहले मुखबिर ने गाड़ी की रोशनी में मोटरसाइकिल लिये खड़े व्यक्ति की ओर इशारा किया कि यह वही व्यक्ति है, जिसके पास संदिग्ध वस्तु है। इसके बाद मुखबिर चला गया। हम पुलिसवाले जैसे ही उस संदिग्ध व्यक्ति के पास पहुचे तो उसने हम पुलिसवालों को देखकर मोटरसाइकिल स्टार्ट करके भागने का प्रयास किया, जिसे घेरघार कर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से उसका नाम व पता तथा भागने का कारण पूँछने पर वह सकपका गया और अपनी गलती की माफी मांगते हुए कहने लगा कि साहब मेरा नाम विवेक गोस्वामी है और मेरे पिता का नाम अखिलेश गोस्वामी है। मेरे पास झोले में सूखा गांजा है, इसलिए मैं आप लोगों को देखकर भागना चाह रहा था। गांजे की बात जानकर उसे उसके विधिक अधिकार के बारे में बताया गया कि तुम्हारा यह विधिक अधिकार है कि तुम धारा 50 एन०डी०पी०एस० ऐक्ट के अन्तर्गत अपनी तलाशी किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष करवा सकते हो। इस पर वह कहने लगा कि साहब मुझे अब यहां से कहीं और नहीं जाना है। जब आप लोगों ने पकड ही लिया है तो आप लोग ही मेरी तलाशी ले लीजिए, मुझे आप लोगों पर पूरा विश्वास है। इस सम्बन्ध में मैं लिखित सहमति पत्र भी देने को तैयार हूँ। पकडे गये व्यक्ति द्वारा स्वलिखित व स्वहस्ताक्षरित सहमति पत्र प्राप्त करने के बाद उस व्यक्ति के मोटरसाइकिल मे टंगे सफेद प्लास्टिक के झोले को तलाशी ली गयी तो उसमें प्लास्टिक के खाकी रंग के टेप से लिपटा हुआ बंडल बरामद हुआ। जिसे थोड़ा सा खोलकर देखा गया व स्वयं तथा सभी हमराहीगण को सूंघा व सुंघाया तो गांजे की बू आ रही थी। का० अभिषेक प्रताप सिंह को भेजकर इलेक्ट्रानिक तराजू मंगाकर तौल करने पर उसका वजन 2 किलो 600 ग्राम सूखा

गांजा पाया गया। पकडे गये व्यक्ति से सूखा गांजा रखने के सम्बन्ध में लाइसेंस मांगने पर वह अपनी गलती की माफी मांगने लगा तथा लाइसेंस नहीं दिखा सका। अभियुक्त को उसका अपराध बताते हुए समय 4.50 बजे सुबह पुलिस हिरासत में लिया गया तथा बरामद गांजे को पुलिस कब्जे में लिया गया। वाहन का कोई कागज न दिखा पाने पर मोटरसाइकिल को धारा 207 एम0वी0 ऐक्ट के तहत सीज किया गया। गिरफ्तारी मेमो व फर्द बरामदगी टार्च व मोबाइल के पर्याप्त रोशनी में मेरे द्वारा लिखा गया था तथा अभियुक्त विवेक व सभी हमराहीगण को पढ़कर सुनाया गया था व अभियुक्त सहित सभी के हस्ताक्षर बनवाये गये थे। माल को उसी झोले में रखकर सील सर्वमोहर करके नमूना मोहर तैयार किया गया। बरामद माल गांजा को परीक्षण हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष नमूना निकाला गया। फर्द की एक प्रति अभियुक्त को दी गयी थी। गिरफ्तारी की सूचना परिजन को दी गयी थी। दौरान गिरफ्तारी व बरामदगी आने–जाने वाले लोगों से गवाही के लिए कहा गया किन्तु कोई भी भलाई–बुराई के डर से गवाही के लिए तैयार नहीं हुआ तथा बिना नाम व पता बताये चले गये। गिरफ्तारी व बरामदगी के दौरान घटनाक्रम की रिकार्डिंग की गयी थी, जिसकी सी०डी० पत्रावली में संलग्न है व 63(4)(ग) के अन्तर्गत प्रमाणपत्र संलग्न किया गया है। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 10क सहमति पत्र, जिस पर अभियुक्त विवेक के हस्ताक्षर हैं एवं इस पर मेरे मेरे भी हस्ताक्षर हैं, जिसकी मैं पहचान व पुष्टि करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 8क/1 गिरफ्तारी मेमो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है जिसकी मैं पहचान व पुष्टि करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 5क फर्द बरामदगी मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मै पहचान व पुष्टि करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। पत्रावली में संलग्न इलेक्ट्रानिक दस्तावेज संख्या 13क/1 सी0डी0, जिसे मेरे द्वारा रिकार्डिंग पश्चात् सी०डी० बनाकर विवेचक को दिया गया था, जिसकी मैं पहचान व पुष्टि करता हूँ, जिस पर **वस्तु प्रदर्श–1** डाला गया। माननीय न्यायालय के समक्ष बरामदशुदा गांजा सील सर्वमोहर युक्त प्लास्टिक के झोले में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय की अनुमति से व माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत माल गांजा को खोला गया। झोले के भीतर प्लास्टिक खाकी रंग के टेप से लिपटा हुआ बंडल देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही गांजा से भरा हुआ बंडल है, जिसे मेरे द्वारा अभियुक्त विवेक गोस्वामी के कब्जे से बरामद किया गया था। माल पर **वस्तु प्रदर्श–2** डाला गया।

17. **पी0डब्ल्यू0–2 हेड कांस्टेबल आशीष अग्निहोत्री** ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कथन किया है कि दिनांक 02.05.2025 को मैं थाना कोतवाली कर्वी में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात था। मेरे कार्यलेख के दौरान उपनिरीक्षक अनिल कुमार गुप्ता मय हमराही थाना कार्यालय में उपस्थित आकर एक किता फर्द बरामदगी, एक किता सहमति पत्र व गिरफ्तारी मेमो तथा एक प्लास्टिक के झोले में 2 किलो 600 ग्राम सूखा गाँजा सर्व सील मुहर व गिरफ्तारी प्रपत्र तथा एक नफर अभियुक्त लाकर दाखिल किया था। फर्द के आधार

पर मेरे द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–267/2025 अन्तर्गत धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. ऐक्ट बनाम विवेक गोस्वामी पंजीकृत किया गया था। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–4क/1 लगायत 4 क/4 प्रथम सूचना रिपोर्ट को देख कर साक्षी ने बताया कि यह वही प्रथम सूचना रिपोर्ट है जो मेरे द्वारा पंजीकृत की गयी थी जिस पर थाना प्रभारी के हस्ताक्षर हैं जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ जिस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 11क/2 जी.डी. पर बने अपने हस्ताक्षर को देख कर उसकी पुष्टि की गयी तथा जी.डी. पर **प्रदर्श क–5** डाला गया।

18. **पी0डब्ल्यू0–3 उपनिरीक्षक रमेश सिंह** ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कथन किया है कि दिनांक 02.05.2025 मैं चौकी प्रभारी, चौकी परिक्रमा मार्ग, थाना कोतवाली कर्वी के पद पर तैनात था। इसी दिनांक को मैं प्रभारी निरीक्षक के आदेश से इस प्रकरण की विवेचना ग्रहण की थी। दिनांक 02.05.2025 को पर्चा नम्बर–1 किता किया जिस पर नकल फर्द, नकल रपट, सहमति पत्र का अवलोकन कर संलग्न सी.डी. किया तथा बयान एफ.आई.आर. लेखक हेड कां. आशीष अग्निहोत्री का बयान व वादी मुकदमा उपनिरीक्षक अनिल गुप्ता व बयान अभियुक्त विवेक गोस्वामी का बयान अंकित किया था तथा मय माल अभियुक्त को न्यायालय में पेश कर रिमाण्ड की याचना की। दिनांक 03.05.2025 को पर्चा नम्बर 2 किता किया गया जिसमें माननीय न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड के समय माल व अभियुक्त को पेश किया गया था तो बरामदशुदा माल से फर्द बरामदगी में बरामद 2 किलो 600 ग्राम माल से माननीय न्यायालय के समक्ष 24–24 ग्राम नमूना माल पृथक कर दो लिफाफों में भर कर सर्व सील मुहर किया गया था। कार्यवाही के पश्चात् माल को चौकी सीतापुर के मालखाना में दाखिल किया गया था। तत्पश्चात् फर्द गवाह कां. अभिषेक प्रताप व कां. रविशंकर के बयान अंकित किये। वादी मुकदमा की निशादेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया जिसमें घ टनास्थल 'X' स्थान से दर्शाया गया है। दिनांक 11.05.2025 को पर्चा नम्बर–3 किता किया गया जिसमें विधि विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षण हेतु क्षेत्राधिकारी के हस्ताक्षर से कां. निलेश द्वारा भेजे गये नमूना माल की दाखिला रिपोर्ट प्राप्त हुयी जिसका अवलोकन कर संलग्न सी.डी. किया गया तथा विधि विज्ञान प्रयोशाला में नमूना दाखिल कराने वाले कां. निलेश कुमार का बयान अंकित किया गया तथा बयान थाना हेड मो० विमलेन्द्र सिंह के अंकित किये गये जिसने अपने बयानों में बताया कि मुकदमा अपराध संख्या–267/25, धारा–8/20 एन.डी.पी.एस. ऐक्ट का माल व नमूना माल, मालखाना चौकी सीतापुर में मेरे द्वारा रखा गया था जिसे परीक्षण हेतु कां. निलेश कुमार के माध्यम से भेजा गया था। अब तक की तमामी विवेचना व साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त विवेक गोस्वामी पुत्र अखिलेश गोस्वामी निवासी तिंदवारी, थाना तिंदवारी, जिला बांदा के विरूद्ध धारा–8/20 एन.डी.पी.एस. ऐक्ट का आरोप पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। दिनांक 25.10.2025 को पूरक पर्चा संख्या–1 किता किया गया जिसमें विधि विज्ञान

प्रयोगशाला से प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन कर संलग्न सी.डी. किया गया। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 7क नक्शा नजरी है जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ जिस पर **प्रदर्श क—6** डाला गया। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या—11क/1 जी.डी. संख्या—45 समय 14.40 बजे दिनांकित 02.05.2025 है जिस पर **प्रदर्श क—7** डाला गया। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या—12क परीक्षण फार्म है जो क्षेत्राधिकारी मऊ के हस्ताक्षर से माननीय न्यायालय के समक्ष निकाले गये नमूना माल को दिनांक 06.05.2025 को भेजा गया था, जिस पर **प्रदर्श क—8** डाला गया। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या—14क/1 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा—63(4)(ग) के अंतर्गत बरामदगी व गिरफ्तारी के समय उपनिरीक्षक शनि चतुर्वेदी के मोबाइल से तैयार की गयी वीडियो की सी.डी. का प्रमाणपत्र है जिस पर **प्रदर्श क—9** डाला गया। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या—23क विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट है जो थाना कार्यालय से मुझे प्राप्त हुई थी जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ जिस **प्रदर्श क—10** डाला गया। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या—3क/1 लगायत 3 क/4 आरोप पत्र है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ जिस पर **प्रदर्श क—11** डाला गया।

19. न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्त पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

20. अभियुक्त विवेक गोस्वामी पुत्र अखिलेश गोस्वामी, निवासी तिन्दवारी, थाना तिन्दवारी, जनपद बांदा, उत्तर प्रदेश पर यह आरोप है कि उसके द्वारा दिनांक 02.05.2025 को गांजा अवैध परिवहन किया जा रहा था। उक्त गांजा मोटरसाइकिल के हैण्डल में टंगा झोले में था। विवेक गोस्वामी को जब पुलिस वालों ने रोका तो उसके द्वारा बताया गया कि उसके मोटरसाइकिल के हैण्डल में टंगा झोले में गांजा है इस पर पुलिस बल के सदस्यों द्वारा विवेक गोस्वामी को सूचना दी गयी कि वह अपनी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी से करा सकता है या फिर तलाशी हेतु उसे राजपत्रित अधिकारी के समक्ष ले जाया जा सकता है। इस पर विवेक गोस्वामी द्वारा स्वयं ही पुलिस बल द्वारा तलाशी कराये जाने का प्रस्ताव रखते हुये सहमति पत्र पर अपने हस्ताक्षर किये है, इसके पश्चात विवेक गोस्वामी द्वारा मोटरसाइकिल के हैण्डल में टंगा हुआ झोले की तलाशी ली गयी तो 02 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जो तौलने पर दो किलो 600 ग्राम निकला। उक्त बरामदगी कार्यवाही की फर्द बनायी गयी तथा फर्द बरामदगी के आधार पर दिनांक 02.05.2025 को समय 04.50 बजे विवेक गोस्वामी के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या—267/2025, अन्तर्गत धारा 08/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट, थाना कर्वी, जनपद चित्रकूट में पंजीकृत किया गया, जिसकी जी0डी0 कायमी संख्या—17, दिनांक 02.05.2025 को समय 07.10 बजे दर्ज की गयी। दौरान विवेचना वादी मुकदमा की निशानदेही पर घटनास्थल पर निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया गया तथा अभियुक्त

विवेक गोस्वामी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य एवं सामग्री पाये जाने पर आरोप पत्र प्रेषित किया गया। आरोप पत्र पर दिनांक 20.06.2025 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नवीन चित्रकूट, एन0डी0पी0एस0 एक्ट के द्वारा संज्ञान लिया गया तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता एवं अभियुक्त विवेक गोस्वामी के विद्वान अधिवक्ता को सुनकर दिनांक 19.07.2025 को अभियुक्त विवेक गोस्वामी के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 08/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट निर्मित किया गया। अभियोजन द्वारा तीन अभियोजन साक्षियों वादी मुकदमा उपनिरीक्षक अनिल कुमार गुप्ता, हेड कांस्टेबल आशीष अग्निहोत्री व उपनिरीक्षक रमेश सिंह का परीक्षण न्यायालय के समक्ष कराया गया। साक्षी संख्या–01, वादी मुकदमा उपनिरीक्षक अनिल कुमार गुप्ता द्वारा अभियुक्त विवेक गोस्वामी से बरामद रिकॉर्डिंग सी0डी0 पर वस्तु प्रदर्श–1 व बरामद माल पर वस्तु प्रदर्श–2 व सहमति पत्र पर प्रदर्श क–1, गिरफ्तारी मेमो पर प्रदर्श क–2, व फर्द बरामदगी पर प्रदर्श क–3 डाला गया। साक्षी संख्या–02 हेड कांस्टेबल आशीष अग्निहोत्री के द्वारा कागज संख्या 4क/1 लगायत 4क/4 प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्श क–4 व कागज संख्या–11क/2, जी0डी0 प्रदर्श क–5 से प्रमाणित किया गया है। साक्षी संख्या–03 उपनिरीक्षक रमेश सिंह नक्शा नजरी को प्रदर्श क–6 से कागज संख्या–11क/1 जी0डी0 सं0–45, दिनांक 02.05.2025, समय 14.40 बजे को प्रदर्श क–7, विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रयागराज उ0प्र0 को प्रेषित पत्र को प्रदर्श क–8, वीडियो की सी0डी0 का प्रमाण पत्र प्रदर्श क–9, विधि विज्ञान प्रयोगशाला उ0प्र0 फाफामऊ शांतिपुरम प्रयागराज की रिपोर्ट प्रदर्श क–10, व आरोप पत्र को प्रदर्श क–11 से प्रमाणित किया गया है। दौरान विचारण अभियुक्त द्वारा दण्ड प्रति संहिता की धारा 294 के अन्तर्गत फर्द बरामदगी अवैध गांजा दो किलो 600 ग्राम, जी0डी0 कायमी संख्या–17 दिनांक 02.05.2025, समय 07.10 बजे गिरफ्तारी सहमति पत्र, नक्शा नजरी, परीक्षण फॉर्म एवं विधि विज्ञान प्रयोगशाला को प्रेषित फारवर्डिंग लेटर 07.05.2025, कागज संख्या–12क और आरोप पत्र को स्वीकार किया है। अभियुक्त द्वारा धारा 294 दं0प्र0सं0 में अभियोजन प्रपत्रों को स्वीकार किया गया है और साक्षी संख्या–01 वादी मुकदमा उपनिरीक्षक अनिल कुमार गुप्ता, साक्षी संख्या–2 हेड कांस्टेबल आशीष अग्निहोत्री, साक्षी संख्या–03 उपनिरीक्षक रमेश सिंह के द्वारा अभियोजन कथानक को युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित किया गया है। अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि दिनांक 02.05.2025 को समय 04.50 बजे बहद स्थान कुशवाहा बस्ती मुर्गी फार्म हाउस के पास स्थित सीतापुर, थाना कर्वी, जनपद चित्रकूट से अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और जामा तलाशी लिये जाने पर अभियुक्त विवेक गोस्वामी के मोटरसाइकिल के हैण्डल में टंगा झोले से दो किलो 600 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसे रखने का कोई प्राधिकार–पत्र अभियुक्त विवेक गोस्वामी नहीं दिखा सका। अतः उपरोक्त कारणों से अभियुक्त विवेक गोस्वामी को स्वापक

औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम की धारा 08 / 20 में दोषसिद्ध करने के आधार पर्याप्त है।

आदेश

सत्र परीक्षण संख्या 373 / 2025, मुकदमा अपराध संख्या 267 / 2025 धारा 08 / 20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट, थाना कर्वी, जिला चित्रकूट के मामले में अभियुक्त विवेक गोस्वामी को धारा 08 / 20 एन0डी0पी0एस0 के अन्तर्गत **दोषसिद्ध** किया जाता है।

अभियुक्त विवेक गोस्वामी प्रस्तुत मामले में जमानत पर है। उनके जमानतनामें एवं बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जामिनदार को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त विवेक गोस्वामी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये।

दोषसिद्ध विवेक गोस्वामी को दण्ड के बिन्दु पर सुने जाने हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो।

दिनांकः–13.08.2026

(राहुल मिश्रा)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं0–1, चित्रकूट।
जे0ओ0कोड–यू0पी0 2726

UPCH010014942025

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0ऐक्ट/,
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–1, चित्रकूट ।
उपस्थितः–राहुल मिश्रा........एच0जे0एस0 (जे0ओ0कोड–यू0पी0 2726)

सत्र परीक्षण सं0–373/2025
उ0प्र0 राज्य।

..........................अभियोजन

बनाम

विवेक गोस्वामी पुत्र अखिलेश गोस्वामी, निवासी तिन्दवारी, थाना तिन्दवारी, जनपद बांदा, उत्तर प्रदेश।

...........................अभियुक्त

अन्तर्गत धारा–08/20 स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम।
थाना–कर्वी कोतवाली नगर, जनपद चित्रकूट।
अपराध संख्या–267/2025

भोजनावकाश के पश्चात दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पत्रावली पुनः पेश हुई। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त पर अवैध पदार्थ गांजे का परिवहन कर रहा था, जो समाज में नासूर की तरह है। अतः अभियुक्त को अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किया जाये।

अभियुक्त विवेक गोस्वामी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया जिनका कथन है कि अभियुक्त विवेक गोस्वामी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त से गलती हो गयी है। अतः अभियुक्त को कम से कम दण्ड से दण्डित करते हुये नरमी बरती जाये।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्त विवेक गोस्वामी को स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम की धारा 08/20 में दोषसिद्ध किया जा चुका है। अभियुक्त द्वारा दौरान विचारण न्यायालय का सहयोग शीघ्र विचारण में किया गया है। अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास हो ऐसा कोई भी प्रपत्र अभियोजन प्रस्तुत नहीं कर सका है। भारतीय न्याय व्यवस्था दण्ड के सुधारवादी सिद्धांत पर आधारित जिसके अनुसार दण्ड का उद्देश्य अभियुक्त में सुधार की संभावनाओं को उत्पन्न कर उसे सभ्य

दिनांकः–13.08.2026

(राहुल मिश्रा)
विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0ऐक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–1, चित्रकूट।
जे0ओ0कोड–यू0पी0 2726

नागरिक बनने का अवसर प्रदान करना है। अतः उपरोक्त कारणों से अभियुक्त को दौरान विचारण जेल में अभिरक्षा में बिताई गयी अवधि तथा 2600 / —रूपये (छब्बीस सौ रूपये) के जुर्माने से दण्डित करना न्यायोचित होगा।

दण्डादेश

कार्यालय जेल अधीक्षक जिला कारागार चित्रकूट 210205 के पत्रांक संख्या—1616 / यू0टी0 / 2026, दिनांकित 13.08.2026, अभियुक्त विवेक गोस्वामी पुत्र अखिलेश गोस्वामी, निवासी तिन्दवारी, वार्ड नं0—05, थाना तिन्दवारी, जनपद बांदा, उत्तर प्रदेश। सत्र परीक्षण सं0—373 / 2025, अपराध संख्या 267 / 2025, धारा 08 / 20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट, थाना कर्वी, जनपद चित्रकूट में दिनांक 02.05.2025 से दिनांक 15.05.2025 तक जिला कारागार में निरूद्ध था। अतः अभियुक्त विवेक गोस्वामी को सत्र परीक्षण संख्या 373 / 2025, मु0अ0सं0 267 / 2025, धारा 08 / 20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट, थाना कर्वी, जनपद चित्रकूट में जेल में बितायी गयी अवधि दिनांक 02.05.2025 से दिनांक 15.05.2025 तक के कारावास से दण्डित किया जाता है तथा 2600 / —रूपये (छब्बीस सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की धनराशि का भुगतान न किये जाने पर 4 दिन का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया जाता है।

इस निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाये।

दोषसिद्ध को सजा के अधिपत्र के साथ दण्डादेश भुगतने हेतु जिला कारागार चित्रकूट भेजा जाये।

अभियुक्त को धारा 428 दं0प्र0सं0 का लाभ प्राप्त होगा।

माल मुकदमाती वस्तु प्रदर्शों को बाद मियाद अपील, अपील न होने की स्थिति में नियमानुसार निस्तारित किया जाये। अपील होने की दशा में उक्त माल मुकदमाती का निस्तारण माननीय अपीलीय न्यायालय के अधीन होगा।

इस निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट चित्रकूट को भी प्रेषित की जाये।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः—13.08.2026

(राहुल मिश्रा)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं0—1, चित्रकूट।
जे0ओ0कोड—यू0पी0 2726

उक्त निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः—13.08.2026

(राहुल मिश्रा)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं0—1, चित्रकूट।
जे0ओ0कोड—यू0पी0 2726

दिनांकः—13.08.2026

(राहुल मिश्रा)
विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0ऐक्ट /
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0—1, चित्रकूट।
जे0ओ0कोड—यू0पी0 2726